कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा/1996 /2021 बिलासपुर, दिनांक 23 मई, 2021

कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा0/1976/2021 दिनांक 14 मई 2021 तथा आदेश क्रमांक/रीडर-जि0दण्डा0/1981/2021 दिनांक 17 मई 2021 के माध्यम से बिलासपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 24/05/2021 रात्रि 12:00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला बिलासपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।

बिलासपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट दर्ज की गयी है किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है। आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग तथा छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बंधनों में समुचित रियायत दी जानी आवश्यक है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने तथा सभी वर्गो के हितों की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बन्धन अधिरोपित करते हुए सम्पूर्ण बिलासपुर जिले में कन्टेंनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोक हित में आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश कमांक/रीडर-जि0दण्डा0/1976/2021 दिनांक 14 मई 2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं, डॉ0 सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर, निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :-

1- बिलासपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 31/05/2021 रात्रि 12:00 बजे तक पूर्ववत कन्टेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त अवधि में बिलासपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी।

2- उपरोक्त अवधि में निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी-

2.1 सभी सब्जी बाजार, मॉल, मैरिज हाल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बन्द रहेंगे।

2.2 जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बन्द रहेंगे किन्तु ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलिवरी की अनुमति रहेगी।

2.3 सभी पार्क, रिसार्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

2.4 बिलासपुर जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बन्द रहेंगे किन्तु 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति आवश्यक प्रयोजन हेतु

23/05/21

Scanned with CamScanner

सभी कार्यालय खोले जाएंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, पोस्टल, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख रखाव से जुडे कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाईण्ट पर लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।

2.5 स्कूल, कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बन्द रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बन्द रहेंगी।

2.6 सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड –19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 होगी।

2.7 सभी प्रकार की मण्डियां, जिसमें सब्जी मण्डियां भी शामिल है, आम जनता हेतु बन्द रहेंगी किन्तु धान एवं अनाज के क्रय–विक्रय/नीलामी से संबंधित मण्डियां प्रातः 06:00 बजे से अपरान्हः 02:00 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मण्डियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग–अनलोडिंग की अनुमति प्रातः 04:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक होगी।

2.8 सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

2.9 होटलों/रेस्टोरेण्ट्स को प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक आनलाईन ऐप जैसे– स्विगी, जोमेटो आदि तथा टेलीफोनिक आर्डर के माध्यम से होम डिलिवरी की अनुमति होगी। उक्त अवधि में टेक अवे का भी संचालन किया जा सकेगा। रेस्टोरेण्ट्स में इन–हाउस–डायनिंग सेवा प्रतिबंधित रहेगी किन्तु होटल में रूके हुए व्यक्तियों के लिए रेस्टोरेण्ट्स की किचन सेवाएं संचालित की जा सकेंगी।

3– लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेन्टर अपरान्हः 05:00 बजे तक खोले जाएंगे किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ–साथ केन्द्र की आई0डी0 निलम्बित की जावेगी।

23/05/21

Scanned with CamScanner

4— वाहन मरम्मत/पंचर सुधार/ऑटो पार्ट्स/वाहनों के शो–रूम/वाहन रिपेयरिंग वर्कशॉप, स्टेशनरी, लॉण्ड्री सर्विसेस, आटा चक्की, ऑप्टिकल शॉप, पेट शॉप/एक्वेरियम, कृषि से संबंधित– (खाद/उर्वरक, कीटनाशक, बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय, कृषि मशीनरी विक्रय एवं इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत) दुकानें अधिकतम सायं 05:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।

5— समस्त प्रकार की एकल दुकानें एवं एकल किराना/डेलीनीड्स दुकानें, फल/सब्जी, अण्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री तथा दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें सायं 05:00 बजे तक खोली जा सकेंगी। संबंधित दुकानदार फल/सब्जी, अण्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री, दुग्ध उत्पाद एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे।

6— स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें, रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में सम–विषम आधार पर नम्बरिंग अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुए सायं 05:00 बजे तक खोली जा सकेगी, जिससे किसी एक दिवस में संबंधित व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित क्रम अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी। इस हेतु नगरीय निकाय स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित क्रम निर्धारित करेंगे। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़–भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन /इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

7— निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकानें जैसे– हार्डवेयर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, ए0सी0, कूलर आदि की स्थानीय /एकल दुकानें अधिकतम सायं 05:00 बजे तक खोली जा सकेंगी।

8— ई–कामर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलिवरी तथा कूरियर डिलिवरी सायं 05:00 बजे तक ही की जा सकेगी।

9— को–मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस, बैंकों, बीमा कार्यालय एवं निजी कार्यालय व संस्थानों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन संचालन की अनुमति होगी।

10— सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, पशु–चिकित्सालय, गैस एजेंसियां एवं पेट्रोल पम्पों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाईयों की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे।

23/05/21

Scanned with CamScanner

11— दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण की समयावधि प्रातः 06:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक होगी।

12— निजी निर्माण कार्य सायं 05:00 बजे तक तथा औद्योगिक संस्थानों, शासकीय निर्माण कार्यो को अपने समय पर संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा के कार्य एवं वन विभाग के लघु/गौण वनोपज से संबंधित– संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे।

13— शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़–भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

14— **प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बन्द रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेंसियां, पी0डी0एस0 एवं उपरोक्तानुसार अपने निर्धारित समयावधि में दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटलों/रेस्टोरेण्ट्स से होम डिलिवरी की अनुमति होगी।**

15— सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलिवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड 19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड–19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलिवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

16— प्रतिदिन सायं 05:00 बजे से अगले दिन प्रातः 06:00 बजे तक सभी गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी, उक्त अवधि में इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियां जैसे– अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, दुग्ध पार्लर/दुग्ध वितरण, पेट्रोल पम्प, होटल/रेस्टोरेण्ट्स से होम डिलिवरी/ टेक अवे तथा थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग–अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समय पर होगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

17— कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।

23/05/21

Scanned with CamScanner

18– उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने–जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने–जाने हेतु उनके पास उपलब्ध टिकट ही उनका ई–पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में बिलासपुर जिले से अन्यत्र आने–जाने वाले यात्रियों को ई–पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/पोस्टल/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख –रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड 19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई0डी0 कार्ड ई–पास के रूप में मान्य किया जावेगा तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भी पास जारी किये जाएंगे।

19– कोविड–19 टीकाकरण हेतु समस्त गतिविधियां यथा पंजीयन, परिवहन एवं टीकाकरण आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोविड–19 टीकाकरण एवं जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल/पैथालॉजी लैब आने–जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

20– आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 4, आटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलेव स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हास्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

21– मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फाम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई–कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

22– यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को

23/05/21

Scanned with CamScanner

कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

23— राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51—60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है । वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार—प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 24/05/2021 रात्रि 12:00 बजे से लागू होगा।

23/05/21

(डॉ0 सारांश मित्तर)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

पृ0 क्रमांक/रीडर—जि0दण्डा/1996-ए/2021 बिलासपुर, दिनांक 23 मई 2021

प्रतिलिपि—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार—प्रसार तथा कोविड—19 उपयुक्त व्यवहार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
8. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned with CamScanner

11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। बिलासपुर जिला अन्तर्गत आवा–गमन के दौरान उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
12. खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. लीड बैंक अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
15. सर्व थाना प्रभारी .... जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. उप संचालक, जनसंपर्क, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. संबंधित सर्व .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
20. .... समस्त आम जनता, जिला बिलासपुर द्वारा उप संचालक, जनसम्पर्क, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

23/05/24

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छ0ग0)
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Scanned with CamScanner